



Neutral Citation No. - 2026:AHC:22756

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - बी संख्या - 418/2026

श्याम लाल एवं अन्य

.....याचिकाकर्ता

बनाम

राजस्व परिषद प्रयागराज, जनपद प्रयागराज एवं 2 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: क्षत्रेश कुमार, विंध्य वाशिनी प्रसाद राय

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता: सी.एस.सी., कौशल किशोर मणि

न्यायालय संख्या - 55

माननीय चंद्र कुमार राय, न्यायमूर्ति

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री विंध्य वाशिनी प्रसाद राय, राज्य के प्रत्यर्थियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री रवि सिंह परिहार और प्रत्यर्थी संख्या 2/ग्राम सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री कौशल किशोर मणि को सुना।
2. वर्तमान याचिका निम्नलिखित राहतों के लिए दायर की गई है:

"क. उत्प्रेषण की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें, जिसके द्वारा माननीय सदस्य (न्यायिक), राजस्व परिषद, इलाहाबाद द्वारा यू.पी.जेड.ए. एण्ड एल.आर. एक्ट की धारा 333 के तहत विचाराधीन वाद संख्या REV/88/2013-2014/सहारनपुर (श्याम लाल व अन्य बनाम ग्राम सभा) में पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 16.12.2025 को निरस्त किया जाए, जिसके माध्यम से उपरोक्त निगरानी में दायर प्रार्थना पत्र संख्या 88/2023 दिनांक 14.12.2023 में निगरानीकर्ताओं/आवेदकों को विवादित भूमि पर खड़े सभी यूकेलिप्टस के पेड़ों को काटने की अनुमति देने की प्रार्थना को खारिज कर दिया गया है (इस रिट याचिका का संलग्नक संख्या 1)।

ख. परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें, जिसके द्वारा याचिकाकर्ताओं को विवादित भूमि पर खड़े सभी परिपक्व/तैयार यूकेलिप्टस के पेड़ों को काटने की अनुमति दी जाए ताकि न्याय हो सके; अन्यथा याचिकाकर्ताओं को अपूरणीय क्षति और हानि होगी।"

3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि राजस्व परिषद द्वारा पारित आक्षेपित आदेश पूरी तरह से अवैध है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं ने उनके पक्ष में निष्पादित वृक्षारोपण पट्टे के अनुसरण में पेड़ लगाए हैं, इसलिए याचिकाकर्ताओं को प्रश्नगत भूखंड पर उनके द्वारा लगाए गए पेड़ों को काटने की अनुमति दी जानी चाहिए। उन्होंने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर निगरानी राजस्व परिषद के समक्ष लंबित है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा लगाए गए पेड़ों को काटने के लिए याचिकाकर्ताओं द्वारा

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



दायर प्रार्थना पत्र दिनांक 14.12.2023 को भ्रामक आधार पर खारिज कर दिया गया है, इसलिए आक्षेपित आदेश को रद्द किया जाना चाहिए और याचिकाकर्ताओं के प्रार्थना पत्र दिनांक 14.12.2023 को स्वीकार किया जाना चाहिए।

4. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिका पोषणीय नहीं है क्योंकि आक्षेपित आदेश राजस्व परिषद के समक्ष याचिकाकर्ताओं की निगरानी लंबित रहने के दौरान पारित किया गया है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं ने पट्टे की शर्तों का उल्लंघन किया है, जिसके कारण याचिकाकर्ताओं का पट्टा रद्द कर दिया गया है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर प्रार्थना पत्र दिनांक 14.12.2023 को राजस्व परिषद द्वारा सही ढंग से खारिज कर दिया गया है और इस मामले में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।
5. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया है और अभिलेखों का अवलोकन किया है।
6. इस तथ्य के बारे में कोई विवाद नहीं है कि यू.पी.जेड.ए. एण्ड एल.आर. एक्ट की धारा 333 के तहत याचिकाकर्ताओं की निगरानी राजस्व परिषद के समक्ष लंबित है और याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर प्रार्थना पत्र दिनांक 14.12.2023 को खारिज कर दिया गया है।
7. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि निगरानी पिछले 11 वर्षों से अधिक समय से लंबित है, न्याय का तकाजा यह है कि निगरानी में किसी और अनंतिम राहत के बजाय निगरानी का निर्णय गुण-दोष के आधार पर किया जाना चाहिए।
8. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, वर्तमान रिट याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित किया जाता है और प्रत्यार्थी संख्या 1/राजस्व परिषद, उ.प्र. प्रयागराज को निर्देशित किया जाता है कि वे याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर उपरोक्त निगरानी संख्या REV/88/2013-2014/सहारनपुर (श्याम लाल व अन्य बनाम ग्राम सभा) धारा 333 यू.पी.जेड.ए. एण्ड एल.आर. एक्ट के तहत, पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करते हुए, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से अधिमानतः दो महीने की अवधि के भीतर शीघ्रता से तय करें।

(चंद्र कुमार राय, न्यायमूर्ति)

3 फरवरी, 2026

रमोज

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"